सहकारिता विभाग उत्तराखण्ड

आउटकम बजट (Outcome Budget) 2017–18

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				
राज्य योजनाः–								
1	निदेशन तथा प्रशासन–03	अधिष्ठान व्यवस्था	2097.28	–	लगभग 417 विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन भत्तों व कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान।	प्रति वर्ष	विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के सफल संचालन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों से राज्य की जनता/कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में विशेष सुधार आयेगा।	वार्षिक
2	निदेशन तथा प्रशासन–05	अधिष्ठान व्यवस्था	100.62	–	सहकारी न्यायाधिकरंण में न्यायाधीश/ सदस्यों/कार्मिकों के स्वीकृत एवं कार्यरत 10, पदों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान।	प्रति वर्ष	सहकारी न्यायाधिकरंण उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 के अनुसार गठित सहकारिता विभाग के आदेशों एवं निर्णयों के क्रम में प्राप्त अपीलों की सुनवाई से अपीलार्थियों को सुलभ न्याय प्राप्त होगा।	वार्षिक
3	निदेशन तथा प्रशासन–06	अधिष्ठान व्यवस्था	42.20	–	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरंण में शासन द्वारा नामित 04 सदस्यों एवं कार्यालय कर्मचारियेां के वेतन/ अन्य व्ययों का भुगतान।	प्रति वर्ष	भारत का संविधान 97वें संशोधन के अनुसार गठित निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा राज्य में निर्वाचन योग्य सहकारी संस्थाओं के नियमित निर्वाचन के फलस्वरूप सस्थाओं में प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन किया जायेगा।	
4	सहकारी प्रशिक्षंण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान	विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना	6.00	–	10 प्रशिक्षंण सत्रों में लगभग 500 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षंण दिया जायेगा !	प्रति वर्ष	प्रशिक्षित विभागीय कर्मचारियों द्वारा विभागीय कार्यो एवं नीतियों के परिपालन में तत्परता एवं पारदर्शिता आयेगी। संस्थाओं के नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से संस्थाओं की कार्यकुशलता में वृद्वि होगी जिसका स्पष्ट लाभ जनता को मिलेगा।	वार्षिक
5	पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक पर राज सहायता	उर्वरक आपूर्ति हेतु परिवहन अनुदान	140.00	–	प्रदेश के लगभग 210000 कृषकों को कम दर पर 190000 मै0टन उर्वरक पर परिवहन अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।	प्रति वर्ष	उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान दर पर उर्वरक विक्रय हेतु समिति बिक्री केन्द्रो तक उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के पश्चात प्रदेश के लगभग 210000 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।	वार्षिक
6	मिनी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड)	मिनी बैंकों/ ग्रामीण बचत केन्द्रों को हानि की प्रतिपूर्ति करना	40.00	–	प्रदेश के ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा 1106 करोड रू0 की गारण्टी हेतु 4000 हजार रू0 कारपस फण्ड दिया जाना प्रस्तावित हैं।	प्रति वर्ष	शासनादेश के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा निक्षेपों की गारण्टी हेतु फ्रण्ड उपलब्ध कराने से केन्द्रों में बचत जमा करने हेतु जनता की धनराशि की सुरक्षा रहेगी।	वार्षिक

7	सहकारिता सहभागिता योजना	लघु एवं सीमान्त कृषकों को कम दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना	1480.50	–	प्रदेश के लगभग 185000 कृषकों को 3750000 हजार रू0 ऋंण पर 04 प्रतिशत दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।	प्रति वर्ष	उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप कृषकों को फसल विक्रय पर अधिक लाभ प्राप्त होगा।	वार्षिक
8	वैद्यनाथन कमेटी	वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियां लागू करने हेतु टोकन मनी	0.01	–	ग्रामीण सहकारी ऋंण संस्थाओं के पुर्नउद्धार के लिये भारत सरकार द्वारा वैघनाथन कमेटी का गठन किया गया है।	प्रति वर्ष	उक्त कमेटी की संस्तुतियां उत्तराखण्ड मे लागू करने के सम्बन्ध में शासन एवं भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।	वार्षिक
9	राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु	परिषद का मुख्य उद्देश्य सहकारिता की समीक्षा करना एवं सहकारी समितियों की किया कलापों में समन्वय स्थापित करना	19.00	–	सहकारी विकास की नई योजनाओं के कियान्वयन हेतु सहकारी मेले/सहकारी गोष्ठियां एवं प्रकाशन आदि पर 04 कार्यक्रमों पर व्यय किया जायेगा।	प्रति वर्ष	उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता द्वारा रोजगार परक पहल में स्थानीय स्तर पर सहकारी मेले एवं सहकारी प्रदर्शनियां आयोजित करने से स्थानीय उपज की बिक्री हेतु सामूहिक बाजार उपलब्ध कराने पर क्षेत्रवासियों को परिवहन पर बचत एवं अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।	वार्षिक
10	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 को भवन निर्माण हेतु	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 के लिये टोकन मनी	0.01	–	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 देहरादून के पास अपना निजी भवन है।		आवश्यकता नहीं है।	
11	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्यांण निगम के संचालन हेतु	राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं बाजार दर से सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना	20.00	–	13 कैन्टीन स्थापना	प्रति वर्ष	प्रत्येक जनपद में कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना होने पर राज्य के कर्मचारियों को सस्ती दरों पर दैनिक उपयोग की वस्तुए उपलब्ध होने से उनके उपभोग खर्च में कमी आयेगी जिससे जीवन सुधार में प्रगति होगी।	वार्षिक
12	बाढ/अतिबृष्टि के कारंण ब्याज पर राज सहायता	राज्य में वर्ष 2013–14 में विनाशकारी बाढ/ अतिबृष्टि से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति	0.01	–	बाढ/अतिबृष्टि से प्रभावित कृषकों हेतु राज सहायता	वर्ष दौरान	मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा ब्याज माफी की धोषणा के उपरान्त बाढ/अतिबृष्टि से प्रभावित कृषकों हेतु राज सहायता	वार्षिक
13	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास करना ही एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का	260.00	625.00	4 जनपदों में संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना द्वारा व्यय किया जायेगा।	परियोजना अवधि तक	प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सहकारी संस्थाओं के आर्थिक ढाँचे के विकास होने पर सहकारी संस्थाओं में भवन,फर्नीचर आदि की समुचित व्यवस्था होने पर संस्थाओं का विकास होगा साथ ही लाभकारी निर्माणों एवं अन्य रोजगार परक योजनाओं से संस्था को लाभ होगा।	वार्षिक

		उद्देश्य है।						
	नई मांगः–							
14	सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु राज सहायता	संस्थागत सेवामण्डल के कार्यों का सफल संचालन	15.00	–	राज्य में कार्यरत सहकारी बैंकों के स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति व अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर रू0 1519 हजार व्यय किया जायेगा।	प्रति वर्ष	संस्थागत सेवामण्डल का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित होने पर जिला सहकारी बैक कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों का समय से निस्तारण किया जायेगा। जिससे जिला सहकारी बैंकों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकेगा।	स्थायी
समस्त योजनाओं का योग–			**4220.63**	**625.00**				